Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 18/396

1. दिनेश कुमार आयु 47 वर्ष आत्मज श्री भगवान दास जाति सिन्धी खत्री निवासी बून्दी।
2. चन्द्र प्रकाश आयु 44 वर्ष आत्मज श्री भगवान दास जाति सिन्धी खत्री निवासी बून्दी।

—अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बून्दी जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.05.2018 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 626/दावा/2002

1. दिनेश कुमार आयु 47 वर्ष आत्मज श्री भगवान दास जाति सिन्धी खत्री निवासी बून्दी।
2. चन्द्र प्रकाश आयु 44 वर्ष आत्मज श्री भगवान दास जाति सिन्धी खत्री निवासी बून्दी।

——वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बून्दी जिला बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.05.2018 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 24.12.2018 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री अनुराग शर्मा एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.05.2018 बहाल रखा जाता है । यदि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.11.2009 अंतिम हो चुका है तो उसके अनुसरण में अपीलान्ट सक्षम अधिकारी के समक्ष कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 24.12.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

24.12.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/396

1. दिनेश कुमार आयु 47 वर्ष आत्मज श्री भगवान दास जाति सिन्धी खत्री निवासी बून्दी।
2. चन्द्र प्रकाश आयु 44 वर्ष आत्मज श्री भगवान दास जाति सिन्धी खत्री निवासी बून्दी।

———अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बून्दी जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री अनुराग शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 24.12.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.05.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक वाद अधिकार घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम गूढा नाथवतान तहसील व जिला बून्दी में आराजी खसरा नम्बर 1728 रकबा 07 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 1738 रकबा 04 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 1739 रकबा 06 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 1740 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा व खसरा नम्बर 1743 रकबा रकबा 21 बीघा कुल 05 किता की रकबा 21 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि संवत् 2021 में श्री मांगीलाल आत्मज श्री भवाना जाति रेबारी के खातेदारी में दर्ज थी । उसकी मृत्यु के बाद उक्त भूमि उसकी पुत्री श्रीमती भूरी के खातेदारी में दर्ज हुई । श्रीमती भूरी की मृत्यु होने पर उक्त भूमि उसके पुत्र वीरभान एवं पुत्री श्रीमती गजरी के खातेदारी में दर्ज की गई । तत्कालीन खातेदार ने उक्त भूमि 55000/– रूपये के प्रतिफल में विक्रय करने का अनुबन्ध किया । श्रीमती भूरी बाई पुत्री मांगीलाल ने विक्रय का इकरारनामा दिनांक 03.05.1988 को निष्पादित करके पंजीयन करा दिया । उस समय विकय्र करने के लिए जिलाधीश महोदय की अनुमति लिये जाने का कानून होने से विक्रय पत्र नहीं लिखा जा सका था । तत्कालीन खातेदार ने विकय्र की मंजूरी हेतु जिलाधीश महोदय बून्दी के यहॉ कार्यवाही की किन्तु जुलाई 1988 में भूरी बाई की मृत्यु हो गई ।

वादीगण ने विक्रय राशि भूरी बाई को अदा कर दी थी । वीरभान खातेदार ने उक्त भूमि का दिनांक 08.05.1991 को नियमानुसार विक्रय पत्र निष्पादित करके पंजीयन करा दिया । प्रतिवादी ने अकारण दिनांक 19.06.96 को इस भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया । प्रतिवादी को वादग्रस्त आराजी को सिवायचक दर्ज करने का अधिकार नहीं था ।

3. अतः वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के रूप में दर्ज किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी में वादीगण के आधिपत्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप व अतिक्रमण नहीं करें ।

4. प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से पैरोकार सरकार ने जवाबदावा पेश कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारिज करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.05.2018 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.05.2018 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी तत्कालीन खातेदार श्रीमती भूरी ने अपीलान्ट को 55000/– हजार रूपये के प्रतिफल में विक्रय कर कब्जा संभला दिया था इसके बाद मृतक भूरी के पुत्र वीरभान ने दिनांक 08.05.1991 को विक्रय पत्र निष्पादित करके पंजीयन करवा दिया । तत्कालीन खातेदार श्रीमती भूरी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अवैध मानते हुए जिलाधीश बून्दी ने रेफरेन्स की अभिसंशा की व रेफरेन्स दिनांक 22.07.93 को माननीय राजस्व मण्डल में भेज दिया जहॉ से माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 29.09.1994 से रेफरेन्स स्वीकार कर लिया जिसके अनुसरण में दिनांक 19.06.96 को इंतकाल नम्बर 849 से यह भूमि सिवायचक दर्ज कर दी गई । अपीलान्ट ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट कर दी और दिनांक 17.11. 2009 को रिट स्वीकार करते हुए जिलाधीश बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.07.93 एंव माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.09.94 निरस्त कर दिये गये किन्तु इस निर्णय के बाद भी रेस्पोडेन्ट ने उक्त भूमि से सिवायचक का इन्द्राज नहीं हटाया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.05.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश किया और प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया ।

9. हमने उक्त प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में विद्धान जिला कलक्टर, बून्दी के निर्णय दिनांक 22.07.93 की प्रमाणित प्रति है जिसके अनुसार जिला कलक्टर के द्वारा वादग्रस्त आराजी के

बाबत् माननीय राजस्व मण्डल में रेफरेन्स की कार्यवाही के आदेश पारित किये गये हैं । प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 29.09.1994 के माननीय रराजस्व मण्डल के आदेश की फोटो प्रति पेश की है जिसके अनुसार जिला कलक्टर के रेफरेन्स को स्वीकार किया गया है । पेश किये गये दस्तावेजात प्रकरण से सम्बन्धित हैं और न्यायालय के निर्णय की प्रतियॉ हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

10. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के बाबत् अपीलान्टगण ने हक, घोषणा का दावा पेश किया था जिसे त्रुटिपूर्ण रूप से खारिज किया गया है । तनकीयात का निर्णय विधि सम्मत रूप से नहीं किया गया है । वादग्रस्त आराजी मांगीलाल के खाते की थी जो उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सुन्दर के खाते दर्ज की गई और उनकी मृत्यु के बाद उनकी पुत्री भूरी के खाते में दर्ज की गई । भूरी की मृत्यु हो जाने पर उनके पुत्र वीरभान एवं पुत्री गजरी के नाम खाते में दर्ज की गई । तत्कालीन खातेदार भूरी ने अपीलान्टगण को वादग्रस्त आराजी 55000/– हजार रूपये प्रतिफल प्राप्त कर विक्रय कर दी और कब्जा अपीलान्टगण को संभला दिया गया। भूरी ने दिनांक 03.05.88 को विक्रय पत्र का इकरारनामा निष्पादित करके पंजीयन करवा दिया था । इसके उपरान्त भूरी के पुत्र वीरभान ने दिनांक 08.05.91 को विक्रय पत्र निष्पादित करके पंजीयन करवा दिया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों पर गौर नहीं किया । तत्कालीन खातेदार भूरी का नाम अवैध मानते हुए जिला कलक्टर, बून्दी ने रेफरेन्स की अभिसंशा की थी और माननीय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 29.09.1994 को रेफरेन्स स्वीकार किया था जिसके अनुसरण में आराजी को सिवायचक दर्ज कर दिया गया । माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 17.11.2009 को रिट स्वीकार करते हुए जिलाधीश बून्दी का आदेश दिनांक 22.07.93 एवं माननीय राजस्व मण्डल का आदेश दिनांक 29.09.94 निरस्त कर दिये । इसके बावजूद रेस्पोडेन्ट ने सिवायचक का इन्द्राज नहीं हटाया और तत्कालीन खातेदार का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया। अपीलान्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय में आदेश 01 नियम 10 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर खातेदारों को पक्षकार बनाने की प्रार्थना की थी जिसको गलत रूप से निरस्त किया गया है । लोक अदालत कैम्प गूढा में दावा खारिज कर दिया उस दिन पक्षकारान कैम्प में उपस्थित नहीं हुए हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 01.05.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

11. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि सेटलमेंट ने गलत रूप से वादग्रस्त आराजी मांगीलाल के खाते में दर्ज की थी । इस कारण से जिला कलक्टर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 22.07.1993 को रेफरेन्स का निर्णय पारित किया । माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29.09.1994 को इस रेफरेन्स को स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी को सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये हैं । अपीलान्टगण को वादग्रस्त आराजी के बाबत् कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते । सेटलमेंट के गलत इन्द्राज के आधार पर उनके पक्ष में किया गया विक्रय पत्र प्रभावशून्य है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.05.2018 बहाल रखा जावे ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । वादी की ओर से नकल जमाबन्दी संवत् 2052 से 2005 प्रदर्श – 1, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2020 प्रदर्श–2, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2016 से 2019 प्रदर्श–3, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2024 से 2027 प्रदर्श–4, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2028 से 2031 प्रदर्श– 5, विक्रय पत्र की फोटो प्रति प्रदर्श– 6/1, इकरारनामा असल, प्रदर्श–7 माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.11.09 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– 8 पेश किये गये हैं ।

13. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर बयान दिनेश पीडब्ल्यू–1, रघुराज पीडब्ल्यू–2, बलराम पीडब्ल्यू–3, भगवानदास पीडब्ल्यू– 4 एवं चन्द्रप्रकाश कराए गये हैं ।

14. वादीगण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दावा हक घोषणा का इन तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है कि वादग्रस्त आराजी उनके द्वारा तत्कालीन खतोदार भूली से क्रय की और इकरारनामे का पंजीयन उप पंजीयन कार्यालय से करवा लिया था । भूलीबाई की मृत्यु हो जाने के उपरान्त उनके पुत्र ने 1/2 हिस्से के लिए दिनांक 08.05.91 को विक्रय पत्र निष्पादित कर पंजीकृत करवाया था । पत्रावली पर जिला कलक्टर बून्दी के आदेश दिनांक 22.07.93 की प्रमाणित प्रति संलग्न है जिसके अनुसार बन्दोबस्त विभाग के इन्द्राज को त्रुटिपूर्ण मानते हुए माननीय राजस्व मण्डल में रेफरेन्स के आदेश पारित किये गये हैं और माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 29.09.1994 के अनुसरण में वादग्रस्त आराजी को सिवायचक दर्ज किया गया है । अपीलान्ट के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.11.2009 की प्रमाणित प्रति पेश की है जिसके अनुसार जिला कलक्टर, बून्दी के आदेश दिनांक 22.07.93 व माननीय राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 29.09.94 को अपास्त किया गया है । अपास्त करने का आधार भूरी बाई की रेफरेन्स का निर्णय करने की तिथि से पूर्व मृत्यु हो जाना बताया गया है । इस प्रकरण में हमारा मत है कि यदि अपीलान्टगण के पक्ष में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा यह निर्णय दिनांक 17.11.2009 को पारित किया गया है और यह निर्णय अंतिम हो चुका है तो अपीलान्टगण को इस निर्णय के आधार पर आवश्यक कार्यवाही हेतु तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए न कि पृथक से हक घोषणा का दावा ।

15. अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उभयपक्ष की साक्ष्य लेने के उपरान्त बहस सुनकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर प्रत्येक तनकी पर विवेचन करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.05.2018 बहाल रखा जाता है । यदि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.11.2009 अंतिम हो चुका है तो उसके अनुसरण में अपीलान्ट सक्षम अधिकारी के समक्ष कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है ।

17. निर्णय आज दिनांक 24.12.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

24.12.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा